संख्या : 1983/60-1-12-1/13(72)/06

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग–1 , लखनऊ : दिनांक 11 जून , 2012

विषय : **नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना में इलेक्ट्रॉनिक फार्म्स (ई–फार्म्स) द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर्स)/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान की स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की पॉच सेवाओं यथा ''पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंन्शन योजना'', ''दहेज योजना के अन्तर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन'', ''दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन'', ''पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान के लिये आवेदन'' एवं ''दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु आवेदन'' को उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्गत शासनादेश सं. 4891/60–1–2010–1/13(72)/06 दिनांक 29.11.2010 के अनुरूप दिनांक 01.07.2012 से इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से यह सेवायें जनमानस को उपलब्ध करायी जानी हैं। 06 पायलट ई–डिस्ट्रिक्ट जनपदों यथा गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पूर्व से दी जा रही सम्बन्धित सेवाएं ई–डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेंगी।

2. योजना को सफलतापूर्वक गो–लाइव किये जाने हेतु जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में निम्न कार्यवाहियॉ ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना है:–

(क) आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.शासन द्वारा जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में गैप इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध कराये गये अथवा पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर संयंत्र एवं सहवर्ती उपकरण स्थापित एवं क्रियाशील हैं तथा उन पर नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टीविटी भी उपलब्ध है।

(ख) समस्त एस.डी.एम., सिटी मजिस्ट्रेट, खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन (परिवीक्षा) अधिकारी, जिन्हें डिजीटल सिग्नेचर हेतु अधिकृत किया गया है तथा जिनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति/स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जाएगी, के डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार कर लिये गये हैं। यदि इन अधिकारियों के डिजीटल सिग्नेचर

सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नहीं हुये हैं तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा निम्न कार्यवाही शीघ्र की जानी होगी:–

- सम्बन्धितों द्वारा एन.आई.सी. से डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाने होंगे।
- एन.आई.सी. से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि निर्धारित आवेदन प्रपत्र, जो कि जनपद स्तर पर डी.आई.ओ., एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा http://nicca.nic.in वेब साइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं, को सम्बन्धितों द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराते हुये एन.आई.सी. को उपलब्ध कराना होगा जिसके उपरान्त एन.आई.सी. द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना के अन्तर्गत जिन अधिकारियों के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक हैं तथा यदि उनको किसी अन्य योजना में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है अपितु उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ही प्रयोग किया जाना होगा। उनके द्वारा यह भी जॉच कर लेना आवश्यक होगा कि उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अवधि योजना के गो–लाइव होने से पूर्व समाप्त तो नहीं हो रही हो। अवधि समाप्त होने की दशा में उनके द्वारा उपरोक्त प्रक्रियानुसार अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करा लिया जाना आवश्यक होगा।

3. समस्त एस.डी.एम., सिटी मजिस्ट्रेट, खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन (परिवीक्षा) अधिकारी तथा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों द्वारा एन.आई.सी. से यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। यदि किन्हीं कारणोंवश उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है तो वह जनपद के सम्बन्धित डी.आई.ओ./एस.आई.ओ., एन.आई.सी. से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण आदि प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

4. गो–लाइव के पूर्व अर्थात दिनांक 15.06.2012 के उपरान्त एन.आई.सी. के स्थानीय अधिकारी के समन्वय से विभागीय हार्डवेयर पर स्टेट पोर्टल एवं ई–फार्म्स का उपयोग करते हुये पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही कर ली जाये ताकि गो–लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

5. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइंट्स यथा जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर्स), लोकवाणी केन्द्रों तथा जन सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गई हैं।

6. उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि राज्य में कॉमन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सीज़ के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार डिलीवर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ई–गवर्नेन्स सेवाओं के लिये निम्न शुल्क प्राविधानित हैं:–

क.स.	ई–गवर्नेन्स सेवा का नाम	नागरिक से लिये जाने वाला शुल्क (प्रति सेवा रू.)	नागरिक से लिये जाने वाले शुल्क का अंश विभाजन (प्रति सेवा रू.)	
			राज्य सरकार	सी.एस.सी.
1	पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंन्शन योजना	10/–	0	10/–
2	दहेज योजना के अन्तर्गत महिलाओं को	10/–	0	10/–

	वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन			
3	दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन	10/-	0	10/-
4	पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान के लिये आवेदन	10/-	0	10/-
5	दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु आवेदन	10/-	0	10/-

7. उपरोक्तानुसार वॉछित समस्त कार्यवाहियॉ शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

भवदीय,

8/6/12

(**सदाकान्त**)
प्रमुख सचिव

संख्या :1983 (1)/60-1-12 , तद्‌दिनांक लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि., अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त एस.डी.एम./ सिटी मजिस्ट्रेट/ खण्ड विकास अधिकारी/ जिला प्रोबेशन (परिवीक्षा) अधिकारी को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

8/06/12

(गिर्जेश लाल पाठक)
विशेष सचिव